न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2024-254RAABarmer2024-158RTA223 Peeraram ors Vs Sonaram etc

01. पीराराम पुत्र धनाराम
02. रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम
03. भाखराराम पुत्र तुलछाराम
04. सोनाराम पुत्र तलछाराम
05. सिणगारी पुत्री तुलछाराम
06. हीरा पुत्री तुलछाराम
07. शान्ती पुत्री तुलछाराम
08. जीयों पुत्री तुलछाराम
09. श्रीराम पुत्र धर्माराम
10. राजूराम पुत्र धर्माराम
11. हीराराम पुत्र धर्माराम
12. एलची पुत्री धर्माराम
13. मोहनी पुत्री धर्माराम
14. पुनी पत्नी धर्माराम

जाति विश्नोई निवासी अग्ताणियों की ढाणी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सोनाराम पुत्र रामूराम
2. लालाराम पुत्र रामूराम के कायम मुकाम
   2.1. आसूराम पुत्र लालाराम
   2.2. राजूराम पुत्र लालाराम
   2.3. लाधुराम पुत्र लालाराम
   2.4. हीरों देवी पत्नी लालाराम
3. भारताराम पुत्र रामूराम
4. ओमप्रकाश पुत्र शेराराम
5. पांचाराम पुत्र शेराराम
6. मंगलाराम पुत्र रामूराम
7. भाखराराम पुत्र रामूराम
8. बींजाराम पुत्र रामूराम
9. जगराम पुत्र धनाराम
10. पेमाराम पुत्र धनाराम
11. गोपालराम पुत्र धनाराम
12. नरसींगाराम पुत्र रतनाराम
13. प्रभुराम पुत्र रतनाराम
14. किसनाराम पुत्र उदाराम
15. हीराराम पुत्र उदाराम
16. नारणाराम पुत्र उदाराम
17. भजनलाल पुत्र उदाराम
18. सुखराम पुत्र खुमाराम
19. भारमलराम पुत्र खुमाराम
20. सदराम पुत्र कानाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

21.सुखराम पुत्र कानाराम के कायम मुकाम
21.1. आसुराम पुत्र सुखराम
22.ठाकराराम पुत्र भेराराम
23.मंगलाराम पुत्र भेराराम
24.शेराराम पुत्र भेराराम
25.किसनाराम पुत्र भेराराम
26.धोंकलाराम पुत्र भेराराम
27.गोगाराम पुत्र अर्जुनराम
28.मोहन पुत्र अर्जुनराम
29.जेठाराम पुत्र अर्जुनराम
30.मदाराम पुत्र ईशराराम
31.तेजाराम पुत्र ईशराराम
32.गोकलाराम पुत्र सांवताराम
33.राणाराम पुत्र जगराम
34.सत्यपाल पुत्र जगराम
35.गणपत पुत्र हरचन्द
36.रमेश कुमार पुत्र हरचन्द
37.धूडाराम पुत्र बागाराम
38.विरधाराम पुत्र भगवानाराम
39.रामलाल पुत्र भगवानाराम
40.पूनमाराम पुत्र तुलछाराम
जाति विश्नोई निपवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना जिला बाडमेर।
41.तहसीलदार धोरीमना
42.गोगी पत्नी बालूराम जाति विश्नोई निवासी अजाणियों की ढाणी तहसील धोरीमना जिला बाडमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 सितंबर 2024 सहायक कलक्टर धोरीमन्ना राजस्व मूल वाद संख्या 40/2023 सोनाराम व अन्य बनाम पीराराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री मोहनलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 01 से 2/1, 2/3 से 15, 17 से 39 व 41

नि र्ण य

दिनांक : 28 जनवरी 2026

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2023 अनवान सोनाराम व अन्य बनाम पीराराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 सितंबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चालीस/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, व 188 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण हिन्दू विधि से शासित है तथा गुतवफी मुकना के वारीस है। स्व. मुकना के तीन पुत्र हुकमाराम, खींयाराम पनाराम हुए। उक्त तीनो वारिसो के खेत वक्त सेटलमेन्ट ग्राम धोरीमन्ना में आये हुए थे। प्रतिवादीगण हमारे पाडौसी है जो रूगाराम पुत्र गिरधारी के वारीस है। रूगा के दो पुत्र धना जिनका वारीस प्रतिवादी संख्या 1 व तुलछाराम जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 से 15 है। वादीगण का खेत खसरा नम्बर 410, 415, 465, 464, 468, पर जागीर काल से कब्जा काश्त चला आ रहा है। विक्रम सम्वत 2011–12 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा रोटलगेन्ट शुरू किया गया था। पटवारी हल्का धोरीमन्ना के सेटलमेन्ट अधिकारी यानि अमीन जो नक्शा व नाप का काम कर रहे थे, वे आलसी व शराबी प्रकृति के थे तथा पुरा दिन आराम करके 2 घण्टे में पुरे दिन का काम करने की कोशिश करते, जिस कारण नाप में भारी त्रुटिया रही है। भूबन्ध अधिकारी द्वारा खसरा नम्बर 410, 415, 465 नापने के बाद जब खसरा नम्बर 464 व 468 नापा तथा इन खसरो को पार कर खसरा नम्बर 467 में गये तथा पुछा की यह खसरा किसका है। यानि नाप किया तो लेकिन वादीगण के पूर्वज खुमा ने सोचा जिस खसरे में प्रवेश किया उसका पुछ रहे है तो रुगा पुत्र गिरधारी का होना बता दिया तो हमारा खेत खसरा नम्बर 464 व 468 में वादीगण के पूर्वजों की जगह रूगा पुत्र गिरधारी का नाम दर्ज कर दिया गया तथा अनपढता के कारण न तो हुकमा, खुमा, काना, अर्जुन, भगवाना को पता चला तथा न ही प्रतिवादीगण के पूर्वज रूगा व उनके पुत्र रायचन्द के पुत्र धना व तुलछा को भी जारी नहीं हो सकी तथा बिना कब्जे स्वामित्व के हमारे पूर्वजो की भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज मुतवफी रूगा के नाम दर्ज हो गई। सेटलमेन्ट के बाद भी हमारा ही कब्जा रहा जो आज दिन तक अनवरत चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने हमारे कब्जे एवं काश्त में दखलदांजी करते हुए हमे बेदखल करने की धमकीया दिये जाने पर वादकरण पैदा हुआ। अंत में वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात के संबधं में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय वाद पत्र को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर वादीगण की सुनवाई उपरांत दिनांक 03 सितंबर 2024 को वाद स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गई, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपील के विचारण के दौरान अपीलांट संख्या दो रामचन्द्र पुत्र तुलछाराम, अपीलांट संख्या चार सोनाराम, अपीलांट संख्या दस राजुराम, अपीलांट संख्या ग्यारह हीराराम एवं अपीलांट संख्या चौदह पुनी ने राजीनामा प्रस्तुत कर अपील को जरिये विड्रो खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया। प्रकरण बहस में परिपूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की अपील पर अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि समस्त वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व ही अपीलान्ट्स के पूर्वज मुतवफी तुलछा पुत्र रूगा व धना पुत्र रायचन्द के कब्जा काश्त की भूमि रही है। वक्त सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा पर्चा लगान भी उनके नाम से जारी किया गया था। वादग्रस्त आराजीयात पर तब से लेकर आज दिन तक अपीलकर्ता का कब्जा है तथा अपीलकर्ता के स्वामित्व की है। उतरदाता पूनमाराम के हिस्से की जमीन जरिये रजिस्ट्री उत्तरदाता के एक पुत्र ने क्रय की थी तथा उक्त आराजी के बीचो बीच पक्की सडक है तथा खरारा नम्बर 468/1 रकबा 1.3355 हेक्टेयर गैर गुमकिन सडक है जो अपीलकर्ता के हिस्से में से गैर मुमकिन सडक दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय ने उक्त सड़क की भी घोषणा उत्तरदाता के नाम कर दी है। वादग्रस्त खेत में कुछ भूमि सडक में निकल जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में वादी/उतरदातागण द्वारा जो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें 'सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि बैंक के पास रहन भी है। वादीगण ने बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है। विधिनुसार प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में संस्थित होने के उपरांत आदेश 5 सी पी सी के प्रावधानो के अनुसार प्रतिवादीगण पर व्यक्तिगत्त तामील करवाई जाना नितान्त आवश्यक है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता समेत अन्य प्रतिवादीगण पर व्यक्तिगत तामिल करवाये बिना ही सीधे ही रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाने के आदेश पारित किये गये है जो कि विधि के विरूद्ध होने के साथ ही साथ विधि से परे जाकर आदेश पारित किये है। वास्तव में विधिनुसार व्यक्तिगत तामिल होने के पश्चात् ही अधीनस्थ न्यायालय के पास यह संतोषप्रद कारण विधमान हो कि प्रतिवादीगण व्यक्तिगत तामील से बचने का प्रयास कर रहे है या फिर प्रतिवादीगण द्वारा जानबुझकर हस्तगत प्रकरण की तामीले नहीं की जा रही है या फिर व्यक्तिगत तामील हेतु जारी नोटिसो की इबारत पर तामिल कुन्निदा की रिपोर्ट हो कि प्रतिवादीगण नोटिस लेने से इन्कार कर रहे है तो ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवाई जाने के प्रावधान है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत तामिल करवाने हेतु नोटिस ही जारी नही किये है जो आदेश 5 सी पी सी के प्रावधानो की घोर अवेहलना है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है तथा उसी दिन उतरदातागण की साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय मे मात्र दो वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत किये जिस पर एकतरफा सुनवाई करते हुए उसी दिन अन्तिम बहस सुनी गई तथा अगली पेशी दिनांक पर उक्त वाद पत्र को अन्तिम निर्णय व डिकी पारित की गई है जो विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 03 सितंबर 2024 को अपास्त किया जावे।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्तागण ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वक्त सेटलमेंट से पूर्व ही वादीगण/रेस्पो. का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा मौके पर वादीगण के रहवासी मकानात बने हुए है। वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स के पूर्वज के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। वादीगण/रेस्पो. की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष अपने वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। यह उल्लेखनीय है कि दौराने अपील अधिकतर अपीलांट्स की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो./वादीगण का कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है तथा अपील को जरिये विड्रो खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है। वर्तमान में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात पर पर वक्त बंदोबस्त सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने के कथन करते हुए वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलबध खसरा गिरदावरी वर्ष 2012 से 2023 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण/रेस्पो. के पुर्वजो के नाम से काश्त दर्ज होना प्रकट होती है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फोटो ग्राफ, जिसमें वादग्रस्त आराजीयात की अक्षांशीय एवं देशांतरीय अवस्थित भी अंकित है, पर अपीलांट्स के मकानात बने हुए है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत स्वतन्त्र गवाह सुजानाराम द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा काश होना तथा वक्त सेटलमेंट अमिन के समझने की भूल से खसरा संख्या 464 व 468 की भूमि प्रतिवादीगण के पिता रुघाराम के नाम दर्ज होने के कथन किये गये है।

यह उल्लेखनीय है कि अदालत हाजा के समक्ष अपीलांट रामचन्द्र, पुनमी, श्रीराम, राजूराम, सोनाराम, हीराराम इत्यादि ने उपस्थित होकर राजीनामा एवं शपथ–पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे काश्त को स्वीकार किया है। उक्त सभी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित है कि वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पो./वादीगण का कब्जा काश्त है। वक्त सेटलमेंट केवल सेटलमेंट कर्मचारियों की भूल से अपीलांट्स के पूर्वजों का नाम दर्ज हुआ है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित किये है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर धोरीमन्ना द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 40/2023 अनवान सोनाराम व अन्य बनाम पीराराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 सितंबर 2024 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर